BEFORE THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIUBUNAL BENCH AT NAINITAL

Present: Hon'ble Mr. Rajendra Singh,

……………..Vice Chairman (J)

Hon'ble Mr. A.S.Rawat

……………..Vice Chairman (A)

CLAIM PETITION NO. 74/NB/DB/2021

Harendra Kumar (Male) Aged about 41 years, S/o Jagdish Saran, R/o H. No.-R-21, Type-2, Revenue Colony, Behind D. M. Office, Rudrapur, District- Udham Singh Nagar, presently working as Naib Nazir, Tehsil Khatima, District- Udham Singh Nagar.

…………..Petitioner

Vs

1-State of Uttarakhand, through Secretary, Department of Revenue, Secretariat, Dehradun.

2-Commissioner, Kumoan Division, District- Nainital.

3-District Magistrate, District- Udham Singh Nagar.

4-Sub Divisional Magistrate, Tehsil- Khatima, District- Udham Singh Nagar.

……………Respondents

Present: Sri Yogesh Pant, Advocate for the petitioner
Sri Kishore Kumar, APO for the respondents

JUDGMENT

DATED:NOVEMBER 17, 2025

Per: Hon'ble Sri A.S.Rawat, Vice Chairman(A)

By means of instant claim petition, the petitioner seeks the following reliefs:

> *"A- To pass necessary order or direction, quashing the order, dated 31.08.2020 (Contained as Annexure no.1) passed by the Commissioner, Kumaon Division, District Nainital along with the order passed by the District Magistrate, Udham Singh Nagar, on 14.01.2020 (Contained as Annexure no. 2) by*

> *which the petitioner has been punished with censor entry along with the recovery of Rs. 20,866/-.*
>
> *B- To direct the respondents to pay the litigation expenses to the petitioner.*
>
> *C- To grant such other reliefs which this Hon'ble tribunal may deem fit and proper under the facts and circumstances of the case."*

2. Brief facts of the case are as under:

2.1 The petitioner has been served with a notice/letter on 18.04.2019, by the respondent no. 4, SDM Khatima wherein a clarification was sought within a period 2 days regarding his alleged non-compliance of the orders passed by his superior officer. In consequence, three allegations were made against the petitioner in the above said notice / letter which are as follows:-

I. Due to the negligence of the petitioner no information till date has been supplied to the respondent no. 4/ SDM Khatima regarding action taken by the petitioner in relation to the supplying of information to the complainant.

II. The petitioner has not complied the order of the respondent no. 4/ SDM Khatima by which he was directed to prepare and submit reply, till 17.04.2019, before him, to the queries of the Hon'ble Information Commission, Uttarakhand .So that the respondent no. 4/ SDM Khatima would be able to give clarification before the Hon'ble Commission. Information

III. Apart from this in the notice / letter it is further alleged that earlier also the petitioner has not disposed of the R.T.I applications within time but this allegation was made without specifying the particular incident.

2.2 The petitioner replied to the said notice/letter on 24.04.2019, specifically denying the allegations made therein. Surprisingly after a period of 4 months, on 28.08.2019, the petitioner had received a show cause notice from the Respondent no. 3/ District Magistrate, District Udham Singh Nagar. But while supplying

the show cause notice neither forwarded the alleged report and recommendation of the respondent no. 4 to initiate departmental proceeding against the petitioner nor supplied the said notice / letter dated 13.06.2019 by which another allegation of negligence.

2.3 The petitioner replied to the show cause notice vide letter dated 05.11.2019 by which petitioner requested to supply the necessary documents to enable him in submitting the explanation to the show cause notice. No information as requested by the petitioner was supplied and the Respondent no. 3/ District Magistrate, Udham Singh Nagar passed the impugned order dated 14.01.2020 whereby imposing censure entry along with recovery of Rs. 20,866/- on the petitioner.

2.4 It is submitted that the show cause notice dated 28.08.2019 was issued by the Respondent no. 3/ District Magistrate, Udham Singh Nagar on the basis of report and recommendation of the respondent no. 4 to initiate departmental proceeding against the petitioner and the same did not speak of the facts that on what basis the Respondent no. 3 / District Magistrate, Udham Singh Nagar satisfied himself before issuing the show cause notice. The impugned order passed by the Respondent no. 3/ District Magistrate, Udham Singh Nagar while imposing recovery of Rs. 20,866/- even did not mention the details/ break ups of the amounts spent, on the basis of which the recovery of Rs 20,866/- was imposed on the petitioner.

2.5 The impugned order passed by the Respondent no. 3/ District Magistrate, Udham Singh Nagar is based on the presumptions without there being any finding against the allegations made by the respondent no. 4/SDM Khatima and the same cannot be sustained in the eye of law.

2.6 The petitioner filed appeal on 06.03.2020 against impugned order dated 14.01.2020 passed by the Respondent no. 3 the District Magistrate, Udham Singh Nagar.

2.7 The Commissioner Kumoan Division, the Appellate Authority upheld the decision of the Disciplinary Authority vide order dated 31.08.2020. The impugned order dated 31.08.2020 passed by the respondent no. 2 / Commissioner Kumoan Division and order dated 14.01.2020 passed by the respondent no. 3/ District Magistrate, Udham Singh Nagar are passed on a predetermined mind set just on the report and recommendation of the respondent no. 4 without looking into the merits of the allegations and without giving any reasonable opportunity of hearing to the petitioner. The petitioner has been punished without there being any proof of any negligence and misconduct on the part of the petitioner.

2.8 The impugned orders dated 31.08.2020 passed by the respondent no. 2/Commissioner Kumaon and dated 14.01.2020 passed by the respondent no. 3/District Magistrate, District Udham Singh Nagar be quashed whereby along with the censure entry and recovery of Rs. 20,866/- has been imposed on the petitioner.

3. C.A./W.S. has also been filed on behalf of the respondents stating therein that-

3-1 याची हरेन्द्र कुमार के द्वारा माननीय सूचना आयोग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरणों में की गयी लापरवाहियों हेतु उपजिलाधिकारी, खटीमा की संस्तुति के आधार पर याची के विरुद्ध उत्तराचंल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 मे विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करते संख्या–4123 / राजस्व अनुभाग–तृतीय / XIV(64) / 2019 दिनांक 14–01–2020 के द्वारा उक्त नियमावली में परिभाषित लघुदण्ड अंतर्गत परिनिन्दा व आर्थिक क्षति वसूली का दण्ड दिया गया है जो विधि संगत है। याची द्वारा विपक्षी संख्या–3 के आदेश दिनांक 14–08–2020 को विपक्षी संख्या–2 माननीय आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल के समक्ष चुनौती दी गयी, जिसमें याची द्वारा प्रस्तुत अपील को आदेश संख्या–4052 / नौ–16 (6) / 2019–20 दिनांक–3–8–2020 से बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया। विपक्षी संख्या–3 द्वारा पारित आदेश दिनांक–14–01–2020 एवं विपक्षी संख्या–2 द्वारा पारित आदेश दिनांक–31–08–2020 पूर्ण रूप से विधिक एवं पोषणीय है।

3–2 अनुरोधकर्ता श्री नाथराम पुत्र दलीराम निवासी ग्राम अलविर्दी तहसील खटीमा द्वारा दिनांक 11.11.18 को लोक सूचना अधिकारी / उपजिलाधिकारी खटीमा के कार्यालय में सूचना अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तत्कालीन लोक सूचना

अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यालय के पत्र संख्या 448/लो०सू०अ०/2018 दिनांक 10.12.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार खटीमा को स्थानान्तरित किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार खटीमा द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 113/लो०सू०अ०/2019 से अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेषित को गयी, जिससे अनुरोधकर्ता द्वारा संतुष्ट न होने पर मा० सूचना आयोग में अपील संख्या 27104/2018 योजित की गयी जिसमें मा० सूचना आयोग द्वारा सुनवाई के उपरान्त दिनांक 04.01.2019 को आदेश पारित कर निर्देशित किया गया कि अपीलकर्ता को वांछित सूचना प्रदान कर एक माह मे आयोग को अवगत करायें, परन्तु श्री हरेन्द्र कुमार नायब नाजिर तहसील खटीमा द्वारा उक्त आदेश को अपने पास लम्बित रखते हुये न तो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा के संज्ञान में लाया गया आर न ही स्वयं कोई कार्यवाही की गई और न ही दिनांक 05 मार्च 2019 को प्रतिपक्षी संख्या–04 वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनके संज्ञान में लाया गया। अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त न होने के कारण क्षुब्ध होकर मा० सूचना आयोग में शिकायत संख्या 13355/2018 2006 शिकायत अन्तर्गत धारा 18 (1) सू०का०अधि०अधिनियम 2005 दर्ज की गयी जिसके कम मैं सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकारी उपजिलाधिकारी खटीमा को नोटिस दिनांक 04.04.2019 निर्गत कर दिनांक 22.04.2019 को स्वयं लिखित स्पष्टीकरण एवं समस्त प्रमाण सहित उपस्थित होन के निर्देश दिये गये जिसके उपरान्त प्रकरण वर्तमान उपजिलाधिकारी खटीमा के संज्ञान में आने पर आयोग के उक्त पारित आदेश का संज्ञान लेते हुए श्री हरेन्द्र कुमार, नायब नाजिर तहसील खटीमा को कार्यालय पत्र संख्या 1960/एस०टी०/2019 दिनांक 18.04. 2019 के द्वारा सूचनाधिकार विषयक कार्यों के प्रति बरती गयी उदासीनता हेतु स्पष्टीकरण जारी किया गया। याची द्वारा बरती गयी उपरोक्त लापरवाही के कारण मा० सूचना आयोग में उप जिलाधिकारी खटीमा को स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर शिकायत का निस्तारण कराना पड़ा, जिससे राजकीय कार्य में व्यवधान एवं राजकीय धनराशि का अपव्यय हुआ।

3.3 इसी प्रकार श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी नगला नगरातराई (सूखापुल) तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर द्वारा लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा को प्रस्तुत अनुरोधपत्र दिनांक 05.06.2018 जो कार्यालय में दिनांक 06.07.2018 को प्राप्त हुआए जिसके कम में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से संतुष्ट न होने पर अनुरोधकर्ता द्वारा विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिलाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसके कम में अपील संख्या 61 वर्ष 2019 दिनांक 05.10.2018 में पारित आदेश में विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा को अपीलकर्ता को 15 दिन में सूचना प्रदान उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु श्री हरेन्द्र कुमार, नायब नाजिर तहसील खटीमा द्वारा उक्त आदेश को तेरकालीन लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी

खटीमा श्री विजयनाथ शुक्ल के भी संज्ञान में न लाकर लम्बित रखा गया। न तो उनके द्वारा स्वयं कोई अनुपालन किया और न ही दिनांक 05 मार्च 2019 को नवनियुक्त उपजिलाधिकारी खटीमा/लोक लोक सूचना अधिकारी निर्मला बिष्ट द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर प्रकरण उनके संज्ञान में लाया गया, जिस कारण अपीलीय अधिकारी/जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं हो सका एवं अपीलकर्ता श्री गजेन्द्र कुमार द्वारा क्षुब्ध होकर सूचना आयोग में अपील संख्या 28442/2019 योजित कर दी गयी। जिसके उपरान्त मा० सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस दिनांक 07.06.2019 के द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रतिवादी संख्या–03 जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा उपजिलाधिकारी खटीमा निर्मला बिष्ट द्वारा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 676/रा०सहा0/2019 दिनांक 13 जून 2019 के द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु याची श्री हरेन्द्र कुमार को निर्देशित किया गया परन्तु याची द्वारा स्पष्टीकरण का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अपीलीय अधिकारी के आदेश का अनुपालन करते हुए अनुरोधकर्ता को सूचना दिनांक 08.07.2019 को प्रेषित की गयी। सूचना आयोग से प्राप्त नोटिस के कम में दिनांक 15.07.2019 को अपील सहायक श्री संजय कुमार चौहान द्वारा मा० आयोग में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए जिसमे मा० आयोग द्वारा सुनवाई के दौरान रोष प्रकट करते हुए प्रथम अपीलीय आदेश के अनुपालन में हुए 244 दिन के विलम्ब के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा को उक्त विलम्ब हेतु शास्ति अधिरोपित किये जाने हेतु स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष दिनांक 21.08.2019 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस प्रकार उक्त प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा सूचना सहायक के रूप में कार्य करते हुए घोर लापरवाही का परिचय दिया गया। उपरोक्त दोनों ही प्रकरणों में याची जिसके पास लोक सूचना सहायक का दायित्व था के द्वारा प्रकरणों अवहेलना किये जाने के कारण उक्त आदेशों का अनुपालन लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका एवं उक्त दोनों प्रकरणों का संज्ञान मा० आयोग द्वारा लेते हुये लोक सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किये गये। उक्त दोनो ही प्रारूपो के विषय मे प्रारम्भिक जांच में लोक सूचना सहायक के रूप में श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा दायित्वों के निर्वहन में गम्भीर लापरवाही किया जाना परिलक्षित हुआ जिसके उपरान्त उपजिलाधिकारी खटीमा द्वारा अपने पत्र संख्या 358/एस०टी०/सूचना/2019 दिनांक 08 अगस्त 2019 के माध्यम से याची के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति कर आख्या प्रेषित की गयी। जिसके कम में जिलाधिकारी महोदय उधमसिंहनगर के पत्र दिनांक 14 जनवरी 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमवली 2003 के नियम 10 के अंतर्गत याची को परिनिन्दा संसूचित की गयी एंव राज्य सरकार को हुयी आर्थिक हानि के कारण लघु दण्ड के रूप में मु0 20,866/– (बीस हजार आठ सौ छियासठ) रू० का अर्थदण्ड दिया गया।

3.4 विपक्षी संख्या 3 द्वारा नियमानुसार तथा विधि पूर्वक कार्यवाही करते हुए याची द्वारा राजकीय सेवा में किये गये आचरण हेतु उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम–3 (क) (एक) के अनुसार परिनिन्दा संसूचित

करते हुए माननीय सूचना आयोग से सम्बन्धित महत्वपूण प्रकरणों में की गयी लापरवाहियों हेतु उत्तराचंल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम (क) (तीन) के अन्तर्गत आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लघंन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किये जाने के लघु दण्ड देते हुए आदेश दिनांक–14–01–2020 पारित कर राज्य सरकार को पडे उक्त व्ययभार की धनराशि मु०–20,866/– रूपये जमा कराने के निर्देश दिये गये है।

3.5 उपजिलाधिकारी खटीमा द्वारा लिये गये स्पष्टीकरणों का संज्ञान उपजिलाधिकारी खटीमा के स्तर पर ही लिया जाना था एवं लिये गये स्पष्टीकरण के सापेक्ष याची द्वारा उपजिलाधिकारी खटीमा को असंतोषजनक होने के प्रस्तुत प्रतिउत्तर साक्ष्यहीन, असत्य कथन पर आधारित व कारण ही उपजिलाधिकारी, खटीमा द्वारा याची के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को गयी। प्रतिपक्षी संख्या–03, जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर कुमांऊ, नैनीताल के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं अपना पक्ष कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.08.2019 का प्रतिउत्तर देकर रखा जाना अपेक्षित था किन्तु नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत न किया जाना याची द्वारा लापरवाही को स्वीकार किये जाने के समतुल्य हैं इसलिय यह याची का कहना विधिपूर्ण नहीं है कि याची को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। विपक्षी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार पक्षकारों को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराते हुए आदेश पत्र संख्या 4052/नौ–16 (06)/2019–20 दिनांक 31.08.2021 पारित किया गया जो कि पूर्णः रूप से उचित आदेश है।

3–6 याची श्री हरेन्द्र सूचना सहायक के रूप में कार्यरत थे तथा याची का दायित्व था कि अपीलीय अधिकारी व सूचना आयोग से प्राप्त आदेश को सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, किन्तु याची श्री हरेन्द्र द्वारा ना तो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी श्री विजयनाथ शुक्ल के सम्मुख उक्त प्रकरण रखा गया और ना नये नियुक्त लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी के सम्मुख उक्त आदेश संज्ञान में लाया गया जिसके कारण उक्त आदेश का ससमय अनुपालन नहीं किया जा सका तथा दोनों ही मामलों में आयोग के सम्मुख लोक सूचना अधिकारी/उपजिलाधिकारी खटीमा को उपस्थित होना पड़ा। जिससे राजकीय कार्य बाधित होने तथा राजकीय धन का अपव्यय होने की स्थिति उत्पन्न हुयी। दावा याचिका खारिज (Dismiss) होने योग्य है।

4. R.A. has also been filed on behalf of the petitioner and has reiterated the averments made in the claim petition.

5. We have heard the Learned Counsel for petitioner, Learned APO and perused the documents presented to the tribunal

6. Learned Counsel for the petitioner argued that the petitioner was given punishment for no fault on his part. He made the order of the Information Commission available to the S.D.M., Udham Singh Nagar. It was duty of the SDM Udham Singh Nagar to comply with the instructions of the Commission. Similarly, regarding the order of order of the Appellate authority to provide the information to the petitioner on the order of the Appellate Authority was also communicated to the SDM Pithoragarh but he did not communicate the same to the petitioner. The petitioner was not given the documents to defend himself when he was charge sheeted. The Disciplinary and the Appellate Authorities did not consider proper facts into consideration and awarded punishment. In view of the above the impugned orders are liable to be set-aside and the claim petition is liable to be allowed.

7. Learned A.P.O. argued that the petitioner did not bring the order of the Hon'ble Information Commissioner to the knowledge of the SDM, the Public Information Officer due to which the order of the Information Commissioner could not be complied. In the second case also the order of the Appellate authority was not brought to the notice of the PIO. Hon'ble Information Commissioner took notice of the matter on the complaint of the petitioner and show cause notice was issued to the PIO. The petitioner did not submit explanation of the show cause notice issued to him. He adopted dilly- dallying tactics and asked for the documents which were not related to the matter in the show cause notice issued to him. He was negligent towards his duties and discourteous to his superiors. His negligent attitude toward his duties resulted in the personal appearance of the PIO in the office of the Information commissioner, which embarrassed not only PIO but also caused undue expenditure in the travelling of the PIO and his staff and wastage of their valuable time. He has been rightly punished. His claim petition is liable to be dismissed.

8. Based on the arguments of both the parties, we find that the petitioner did not bring to the notice of the PIO, the order of the Information Commissioner in the matter of Shri Nathram s/o Sri Dulli Ram. Similarly, in other case, he did not bring the order of the Appellate Authority to the notice of the PIO. He was given show cause notice by the SDM, the PIO, but his reply was very discourteous. He did not give reply of the show cause notice given to him by the D.M., Udham Singh Nagar and tried to delay the inquiry by asking documents which in view of the respondents were not required. The petitioner was awarded punishment by the Disciplinary authority based on the documents related to the case as the petitioner did not submit the reply of the show cause notice issued by the Distt. Magistrate, Udham Singh Nagar. The punishment order of the Disciplinary Authority was upheld by the Appellate Authority, the Commissioner Kumaon Division. The Disciplinary proceeding against the petitioner was conducted as per the Uttaranchal Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 2003 as amended in 2010. Hence, we find no force in the claim petition and is liable to be dismissed.

ORDER

The claim petition is hereby dismissed. No order as to costs.

RAJENDRA SINGH
VICE CHAIRMAN (J)

A.S.RAWAT
VICE CHAIRMAN (A)

DATED: NOVEMBER 17, 2025
NAINITAL
KNP